M.P. TRADE AND INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LTD.
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
TRIFAC

क्रमांक /एमपीट्रायफेक/फिस्कल इन्सेंटिव्स/2015/ भोपाल, दिनांक .09.2015

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर/भोपाल/
जबलपुर/उज्जैन/रीवा/सागर एवं आईआईडीसी, ग्वालियर ।

विषयः- वृहद् उद्योगों के प्रकरणों में उत्पादन दिनांक का निर्धारण किये जाने संबंधी।

मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना- 2014 अनुसार वृहद् उद्योगों (मेगा स्तर सहित) को समस्त प्रकार की सुविधा/सहायता स्वीकृत एवं वितरित करने हेतु एम.पी. ट्रायफेक को अधिकृत किया गया है। इसके क्रियान्वयन अंतर्गत विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में परिपत्र क्र. 01, 02 एवं 03 द्वारा आपको प्रेषित किए गए हैं। कतिपय औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों से वृहद् इकाईयों को उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने संबंधी पृच्छा की गई है।

इस संबंध में लेख है कि वृहद् उद्योगों (मेगा स्तर सहित) द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली से आई.ई.एम. प्राप्त किया जाता है तथा उत्पादन प्रारंभ कर दिए जाने के पश्चात् आई.ई.एम. (पार्ट-बी) अंतर्गत निर्धारित जानकारी भेजकर अभिस्वीकृति प्राप्त करता है। अतः सुविधा/सहायता स्वीकृति के लिए उत्पादन दिनांक हेतु आई.ई.एम. (पार्ट-बी) अंतर्गत प्राप्त अभिस्वीकृति को मान्य किया जाना है। इकाई द्वारा इसमें समस्त उत्पादों की वार्षिक क्षमता एवं उत्पादन दिनांक का उल्लेख आवश्यक है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि सुविधा/सहायता के प्रकरण अनुशंसित कर इस कार्यालय को भेजने के पूर्व आवश्यकतानुसार इकाई का स्थल निरीक्षण कर इकाई द्वारा प्राप्त अभिस्वीकृति का सत्यापन आवश्यक रूप से कर लिया जावे।

सही
(डी.पी. आहूजा)
प्रबंध संचालक

पृ.क्र. /एमपीट्रायफेक/फिस्कल इन्सेंटिव्स/2015/ 7390 भोपाल, दिनांक 25.09.2015

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
3. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ..., (समस्त) ।
   - की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबंधक (सिंगल विण्डो), एम.पी. ट्रायफेक की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

प्रबंध संचालक